न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 232 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010 / 00012

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
जगदीश पुत्र फूलाजी, जाति– बिश्नोई, निवासी–विष्णुनगर (बावरला) ,तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	1 फुला पुत्र मोतीजी 2 नरसी पुत्र फुलाजी 3 किशनी पुत्री फुलाजी 4 भुणी पुत्री फुलाजी कौम–बिश्नोई, निवासी–विष्णुनगर (बावरला), तहसील–सांचौर 5 सरकार जरिये, तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर 6 उपपंजियक अधिकारी सांचौर जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 07.10.2010

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 16.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि पुराना ग्राम बावरला का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 429 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 47 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 196 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 437 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 528 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 527 रकबा 08 बिस्वा जुमले रकबा 208 बीघा 18 बिस्वा भूमि हमारे पुश्तैनी खातेदारी की थी जो भूमि मोतीजी पुत्र श्री रामाजी के स्वामित्व की थी जो मोतीजी फौत होने पर काछबा, चतरा, अणदा, फूला पिसरान मोती के नाम खातेदारी दर्ज हुई। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावें कि वें वांके मौजा विष्णुनगर के खेत खसरा नंबर 852, 863, 937, 945 जुमले रकबा 5.40 हैक्टेयर एवं ग्राम बावरला के खेत खसरा नंबर 371 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि में हमारे बंट व हिस्से की भूमि के मेरे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व भुगतभोग व

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट

कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं एवं न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें अथवा करावें तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी पर किसी भी बैंक या संस्था से लोन आदि ही लेंवे तथा न ही भूमि को किसी तरह से बेचान या हस्तांतरण ही करें तथा न ही अप्रार्थी संख्या 5 व 6 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी तरह का पेश दस्तावेज को पंजीयन ही करावें तथा मौके एव रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 06 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 फूला उक्त वादग्रस्त आराजी का बेचान/रहन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
★ जिला जालोर ★

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **16.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
★ जिला जालोर ★

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर